राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत/1037 (iii)/177 दिनांक : 11/05/2022

–: परिपत्र :–

मण्डल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2022–23 की विकसित भूमि दर निर्धारित कर जुलाई 2022 से जून 2023 तक प्रभावी रखने के उद्धेश्य से, उप आवासन आयुक्त एवं समस्त खण्ड के आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि आगामी 07 दिवस में समस्त आवासीय अभियन्ताओं द्वारा दर निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित दस्तावेजों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से निम्न सूचना के साथ लागत प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करावे:–

1– प्रथम बार भूमि एवं विकास दर निर्धारण हेतु भेजे गये भूमि भुगतान एवं विकास मद के अतिरिक्त यदि कोई व्यय किया गया है, उसका विवरण प्रेषित करावे।

2– योजना में अब तक हुई व्यय राशि तथा वर्तमान एवं भविष्य में यदि कोई व्यय करना प्रस्तावित हो, तो उसका विवरण प्रेषित करावे। जिसमें वर्ष 2022–23 में प्रावधान लिए जाने के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, विद्युत एवं पी.एच.ई. खण्ड–कार्यालयों के द्वारा की गई/की जानी वाली व्यय राशि का समावेश सुनिश्चित अवश्य करलें अन्यथा राशि का प्रावधान नही लिए जाने के लिए सम्बन्धित वृत्त/खण्ड अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगें।

3– पूर्व में प्रेषित विक्रय योग्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो, विवरण प्रेषित करावें।

4– बिन्दु संख्या 01 एवं 02 सूचनाओं के अतिरिक्त उक्त योजनाओं का अवशिष्ट विक्रय योग्य क्षेत्र यथा आवासीय, व्यावसायिक का विवरण भी प्रेषित करावें।

5– यदि भूमि एवं विकास दर को स्थिर रखना है अथवा केवल सम्भावित व्ययों के मदों में परिवर्तन करना है तो कारणों सहित सक्षम माध्यम से ही प्रस्तुत करे, ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हों।

6– सभी योजनाओं में वर्तमान में प्रभावी DLC दरों के परिप्रेक्ष्य में मण्डल योजनाओं की दरों की समीक्षा करते हुए आगामी वर्ष में प्रभावी दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा प्रेषित करावें।

निम्न आवश्यक विवरण पत्र भी उपलब्ध करावें:–

(i) Statement of saleable area of scheme.
(ii) Statement of expenditure incurred on land acquisition and development work each sect. with payament date.
(iii) Statement of already recovered cost.
(iv) Cost of land development.
(v) Land map.
(vi) Statement of land analysis.

यदि सम्भावित व्ययों /वास्तविक व्ययों के आधार पर विकसित भूमि दर का निर्धारण नही कराना है तो भी सूचित करावें।

उक्तानुसार सूचनायें 07 दिवस में लागत प्रकोष्ठ में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे ताकि प्राप्त दस्तावेजों को जांच कर आगामी वर्ष 2022–23 की विकसित भूमि दर निर्धारित की जा सकें। वर्ष के मध्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कार्यवाही नही की जावेगी।

यथा समय उचित माध्यम से प्रकरण प्राप्त न होने पर देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
3– अति.मु.अभियन्ता, ..., रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड– ...., रा.आ.म., ...।
7– सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Office Order Hindi/Hanuman Sahay/Costing